

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/326 /

जबलपुर, दिनांक 22 / 1 / 2022

II-14-124/21

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2012/नियम/चार भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर, 2012 के आलोक में श्री देवीदयाल श्रीवास्तव, अनिवार्य सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड-दो, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर को उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्त दिनांक 25/11/2016 पर पात्रता अनुसार 193 दिन के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सही/-

(प्रियदर्शन शर्मा)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)


क्रमांक D/327 /

जबलपुर, दिनांक 22 / 1 / 2022

II-14-124/21

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 4503/स्थापना ग्वालियर, दिनांक 04/12/2021 के संदर्भ में श्री देवीदयाल श्रीवास्तव, अनिवार्य सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड-दो का गणना पत्रक एवं अवकाश लेखा मूलतः वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।  
संलग्न :- अवकाश लेखा।
2. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(प्रियदर्शन शर्मा)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)